ताय मूल के लोग और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या करीब दो करोड़ होगी। अगर ऐसा कहा जाए कि दो प्रतिशत भारतीय दुनिया के कोने-कोने में बस गये हैं तो गलत नहीं होगा।

विदेशों में गये भारतीयों से भारत सरकार को बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मेरे अनुमान से विदेशों में जाने वाले भारतीयों की दो श्रेणियां हैं-- अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बैल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन आदि देशों में जाने वाले भारतीय उन्हीं देशों में बसने का सपना रखते हैं। साथ-साथ इन देशों में जाने वाले भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त भी होते हैं लेकिन अफ्रीका, अरब देश और दक्षिण पूर्व एशिया में जाने वाले भारतीयों में मजदूर वर्ग की तादाद ज्यादा होती है। इसी वर्ग का शोषण ज्यादा होता है। भारतीय मैनपावर एक्सपोर्ट एजेन्सियां सब से पहले ऐसे मजदूरों का नहीं उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों का भी शोषण करती हैं। विदेश में जाने वाले मजदूरों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार जान भी खो देनी पड़ती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती हुई घटनाओं को मददेनजर रखते हुए मैं सरकार से इस सिलसिले में कुछ कदम उठाने की मांग करता हूं।

सबसे पहले देश के विभिन्न शहरों में जो मैनपावर एक्सपोर्ट एजेंसियां हैं उनको अपने कार्य की पूरी जानकारी भारत सरकार को या संबंधित राज्य सरकार को देना अनिवार्य किया जाये। इसी के साथ-साथ भारत सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि जिससे कोई भी भारतीय धोखे से विदेश में न जाए। विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास इस मामले पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। विविध देशों की सरकारों से समन्वय करके वहां के रिक्त स्थानों को भारत में प्रकाशित होने वाले "रोजगार समाचार" जैसे वीकली में प्रकाशित कर सकते हैं जिससे बेरोजगार या विदेशों में जाने के इच्छुक लोग बिचौलियों के धोखाधड़ी से बच सकेंगे। उसी तरह भारतीय दूतावास अपने पास एक कम्प्यूटराइज डाटा रख सकता है और संबंधित विदेशी सरकारों को भी उपलब्ध करा सकता है। बहुत से देश चाहते हैं कि विदेशी उनके देश में नौकरियों के लिए आयें लेकिन वे वहां बसें नहीं। अगर भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें और भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत और विदेशों में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को एक या दो वर्ष के लिए लियन पर जाने की व्यवस्था करे तो ऐसी व्यवस्था में भारतीयों को बहुत बरीयता दी जाएगी। उनके स्थान पर यहां के बेरोजगारों को नौकरियां उपलब्ध होंगी। परिणामतः भारत में विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर आ सकती है और आएगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी जाए जिसमें सांसदों के अलावा देश के विभिन्न वर्गों से भी सुझाव लिए जाएं और विदेशों में गए इस देश के दो प्रतिशत लोगों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। पिछले कुछ सालों से प्रति वर्ष करीब दस हजार शिकायतें आ रही हैं। उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इन बातों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही कदम उठाएगी। धन्यवाद।

Violation of guidelines Diversion and and Misappropriation of Funds under Employment Assurance Schemes Sponsored by Central Govt. in a Number of States

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : महोदया, मैं सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन में जो कमजोरियां हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सुनिश्चित रोजगार योजना हम सभी को मालूम है ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के निमित्त है और इस योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार हैं उनमें एक परिवार से दो व्यक्तियों को एक साल में एक सौ दिन काम देना सुनिश्चित किया जाए। महोदया, यह असंगठित मजदूरों का एक मामला है। हम लोगों ने इसके पहले आज के हाउस में संगठित मजदूरों की समस्याओं

पर काफी बहस की, काफी समय उस पर दिया। जो संगठित हैं उनके सामने इतनी परेशानियां हैं। जो असंगठित हैं उनको परेशानियों का अभी हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। मैडम, इस कार्यान्वयन की कमजोरियों के बारे में, हाल में जो हम लोगों के पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है वह जो दास्तां कह रही है वह अजीबो-गरीब है। उसमें और हम लोग गांवों के अंदर जो सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के मामले को देख रहे हैं तो दोनों में मेल पाते हैं। लेकिन यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो मेरे पास है (नम्बर 3, 1997) इसमें इस योजना के कार्यान्वयन के इवैल्यूएशन एण्ड आडिट का काम किया गया है। 22 राज्यों के 98 डी. आर. डी. एल. का आडिट किया गया है। उससे भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उस योजना के कार्यान्वयन के निमित्त जो गाइडलाइंस हैं उनका वायोलेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। दूसरी योजनाओं के लिए दूसरी गतिविधियों के लिए फंड का डाइवर्जन हो रहा है। इसमें फंड का गोलमाल हो रहा है, फंड का मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है। गाइडलाइंस के वायोलेशन के चलते फंड का मिसएप्रोप्रिएशन और डाइवर्जन हो रहा है। मैंने कहा मैडम कि अजीबो-गरीब दास्तां है। मैं इसका एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं उदाहरण स्वरूप इस रिपोर्ट से ही। इसका पैरा 3.7.1 है। इस रिपोर्ट का चैप्टर 3 है इसमें पैरा 3.7.1 है।

"...In Nagaland, Rs. 39.05 lakhs were reportedly paid to the group leaders and MLAs and a State Government officials' office-bearer of a political party...."

6-00 म. प.

पोलिटीकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्ज को भी इस सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि में से.... (**व्यवधान**) नहीं है तो ग्रुप लीडर्ज कौन हैं, मैडम, यह दिया गया है। डाइवर्शन ऑफ फंड का जो मामला है, आप दो मिनट का समय कुछ बढ़ायेंगी तो मुझे यह आशा है .... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : नहीं, ओझा जी, आप स्पेशल मेंशन कर रहे हैं। आप इतना लंबा बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। जरा संक्षेप में बोलिएगा।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : लंबा नहीं है। एक रोज हम लोगों ने बंगाल के फंड्ज के डाइवर्शन पर बात की थी। मैं इस रिपोर्ट को केवल पढ़ कर सुना देता हूं जो हम समझते हैं कि 12-13 राज्यों के मामले में है। 1993 से लेकर 1996 के बीच के हैं। आन्ध्र प्रदेश 712 लाख.... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप रिपोर्ट को क्यों पढ़ रहे हैं ? आपको जो उसके बारे में कहना है वह कहिए और संक्षेप में कहिए। रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लग जायेगा।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात,, हरियाणा, जम्मू एंड काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और अन्य राज्यों के मामले में कहा गया है कि 53 करोड़ रुपये का डाइवर्शन हुआ। मैडम, एक रिपोर्ट है कि 180 दिन तक पसनल एकाउंट में वह रुपया रखा गया। रिपोर्ट में, 180 दिन के लिए नागालैंड में है और 56 लाख रुपये जो सूद हुआ उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग कई बार हाउस के अंदर सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य ग्रामीण योजनाओं के कार्यान्वयन में जो कमजोरियां हैं, फंड का जो डाइवर्शन है, मिस एप्रोप्रिएशन है, उसकी हम चर्चा करते रहे हैं और नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट से अब यह बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है मैडम, मैं इसके जरिए मांग करना चाहता हूं कि यह जो मिसएप्रोप्रिएशन है, फंड्ज का डाइवर्शन और गाइडलाइंस का जो उल्लंघन हो रहा है इसकी जवाबदेही किसी पर बनती है या नहीं ? इसकी जवाबदेही बनती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लायमेंट है इस पर फाइनांसिंग,

प्लानिंग, गाइड लाइंस और इसके इवैलूएशन की जवाबदेही है । राज्य के अंदर सैक्रेटरी के सभापतित्व में स्टेट लेवल कोआर्डिनेशन कमेटी मॉनिटरिंग करती है और जिला के अंदर कोलैक्टर और डी.डी.सी. के ऊपर इसके इंप्लीमेंटेशन की जवाबदेही है । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : ओझा साहब, स्पेशल मेंशन के लिए हर माननीय सदस्य को तीन मिनट का वक्त दिया जाता है । आपका वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है । आप संक्षेप में बोलेंगे तो औरों का नंबर भी बोलने का जल्दी आएगा । आप समय का ध्यान रखिएगा । मैं नहीं चाहूंगी कि बार-बार मैं किसी सदस्य को रिमांइड कराऊं कि आपका वक्त खत्म हो रहा है; आप जरा संक्षेप में बोलिए, यह कहने के लिए हमें भी अच्छा नहीं लगता ।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा : महोदया मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जो हमारे समाज का सब से गरीब तबका है, जो अनआर्गेनाइज्ड है और जिसके लिए हम बराबर चिंता व्यक्त करते हैं और अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है और ऐसी योजना के अंदर आफिशियल के जरिए उच्च पदस्थ लोगों के स्तर पर इस तरह से डाइवर्शन हो रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है । इसको रोकने के लिए कारगर कदम अविलम्ब उठाए जाएं, क्योंकि एक मामला तो प्रकाश में आ गया है कि 56 लाख रुपया सूद एक व्यक्ति ने इसके लिए ले लिया और 180 दिन तक अपने एकाउंट में उसने पैसा रखा । रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हुई । महोदया, इसके लिए जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्यवाही हो और इस बारे में तथा इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक स्टेटमेंट संबंधित मंत्री के द्वारा जो यह नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट है उसके प्रसंग को ले करके हाउस के सामने रखी जाए । धन्यवाद ।

Alleged holding of Disputed Shares Securities Certificates to the extent of Rs. 2970 crores by Canara Bank, Can Bank Mutual Fund and Can Bank Financial Services

SHRI R. K. KUMAR (Tamil Nadu): Madam, I rise to draw the attention of the Government through this House to a very disturbing report relating to the Canara Bank. The Canara Bank is one of the fine institutions among the nationalised banks with 90 years' standing and I had the privilege of serving on its Board for one term.

Madam, according to a report in *The Indian Express* of 4.7.1997, the Canara Bank seems to be holding Rs. 2,162 crores worth of shares and securities, of which the title is disputed. The Bank doesn't have title to these shares and securities.

For another Rs. 600 crores of shares and securities of Canbank Mutual Fund under the scheme called Can Star, the liability is likely to fall on the Canara Bank. Madam, the origin of this is in the pursuit of seeking higher profits Canbank Financial Services took deposits from various public sector undertakings. There was a ceiling on interest of 10 per cent at that time, but this subsidiary of Canara Bank took deposits from various PSUs to beat the deposit-interest ceiling restriction under the Portfolio Management Scheme, i.e., you give the money, I am going to invest in shares and securities and I will get you a minimum return of 20 per cent. This is how the money was taken. This money was advanced to various brokers in Mumbai. These brokers with this money took the share price up, up and up and ultimately the scam broke out in 1991-92 and what had happened? These public sector undertakings are now saying, "We don't want your shares or securities. Give us back our money with interest." So, the Canara Bank is saddled with Rs. 2,162 crores